रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2008/फाल्गुन 22, 1929
No. 326] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2008/PHALGUNA 22, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2008

का.आ. 479(अ).—चूंकि, केन्द्र सरकार को मै. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ब्लाक-15, दूसरा तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गांधीनगर-382011 (गुजरात) से तेल खोज प्रयोजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हवाई जहाज द्वारा कुछ विशेष विस्फोटकों को आयात करने की अनुमति हेतु पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

और, चूंकि, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन संतुष्ट है कि विस्फोटकों के प्रस्तावित आयात का उपयोग, तेल खोज प्रयोजन में किया जाएगा और इसलिए विस्फोटक नियमावली, 1983 के नियम 31 के उप-नियम (2) के उपबंधों से आवश्यक छूट प्रदान की जा सकती है, जिसके तहत यहां विनिर्दिष्ट किए गए विस्फोटकों का हवाई जहाज द्वारा आयात अथवा निर्यात निषिद्ध है;

और, जबकि, नागर विमानन महानिदेशक ने वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने परमिट सं. 52-डीजी/2008, दिनांक 19 फरवरी, 2008 द्वारा जो कि 31 जुलाई, 2008 तक वैध है, इस प्रकार के विस्फोटकों को वायु मार्ग द्वारा ले जाने के लिए मै. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात को कतिपय शर्तों के साथ आवश्यक अनुमति प्रदान की है;

अतः, अब, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मै. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात को मै. जेट रिसर्च सेंटर (हैलीबर्टन एनर्जी सर्विसेज इंक की एक डिवीजन), आई एन सी, 8432, साउथ I-35, डब्ल्यू, अलवरेडो, टैक्सास-76009-9775, संयुक्त राज्य अमेरिका से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर निम्नलिखित विस्फोटकों का वायुमार्ग द्वारा आयात करने के लिए विस्फोटक नियमावली, 1983 (इसे यहां उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 31 के उप-नियम (2) के उपबंधों से छूट देती है, जिसकी मदों और मात्राओं को नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट किया गया है, नामतः :—

सारणी

क्र.सं.	विस्फोटक सामग्री का नाम	यू. एन. संख्या	वर्ग	कुल भार (कि.ग्रा. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आर्टिकल्स, एक्सप्लोसिव, एन.ओ.एस. (टीसीपी एचएनएस बूस्टर)	0349	1.4 एस	0.110
2.	चार्जेज, शेप्ड (3-3/8" मिलेनियम एचएनएस चार्जेज)	0441	1.4 एस	1204.800
3.	आर्टिकल्स, एक्सप्लोसिव, एन.ओ एस. (80 जी आर, एच एन एस डिटोनेटिंग कार्ड)	0349	1.4 एस	9.800

2. उक्त सारणी में उल्लिखित विस्फोटकों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, नामत: :–

(1) नागर विमानन महानिदेशक और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और उनके द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों, का पालन किया जाएगा;

(2) 1 जनवरी, 1996 से लागू हुई अन्तरराष्ट्रीय वायु परिवहन एसोसिएशन खतरनाक माल विनियमावली के (37वें संस्करण) की धारा 3 के 3.1 के तहत आने वाले प्रथम श्रेणी के विस्फोटकों से संबंधित प्रभाग के प्रभाग 1.4 के ही अनुरूप विस्फोटकों का आयात किया जाएगा;

(3) [नियम 31 के उप-नियम (2) के अलावा] उक्त नियमों में यथा निहित विस्फोटकों के कब्जे, परिवहन, प्रयोग और आयात से संबंधित सुसंगत उपबंधों का सख्ती से पालन किया जाएगा;

(4) उक्त नियमों के अधीन लाइसेंसशुदा विस्फोटक सामग्री के वाहनों की पर्याप्त संख्या हवाई अड्डे पर तैयार रखी जाएगी ताकि विस्फोटक सामग्री को, वायुयान के उतरते ही शीघ्रता से हटाया जा सके;

(5) वायुयान को हवाई अड्डे पर दूरस्थ स्थान पर खड़ा किया जाएगा और विस्फोटकों का वायुयान से वाहन में अंतरण शुरू होने से पहले महानिदेशक, नागर विमानन से परामर्श करके पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों का प्रबंध करके वायुयान और विस्फोटक सामग्री वाहन के चारों ओर कम से कम 500 वर्गमीटर क्षेत्र को घेर लिया जाएगा। उक्त व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि अन्तरण पूरा नहीं हो जाता और अच्छी तरह से बन्द वाहन उक्त स्थान से रवाना नहीं हो जाता;

(6) घिरे हुए क्षेत्र के अन्दर कोई धूम्रपान अथवा खुली बत्ती के उपयोग की अनुमति नहीं होगी; तथा

(7) उपर्युक्त विस्फोटक सामग्री को ले जा रहे वाहन उक्त नियमों के अधीन लाइसेंसयुक्त भण्डारण मैगजीन की ओर अग्रसर होंगे और रास्ते में कोई अनुचित विलम्ब नहीं किया जाएगा और विस्फोटकों के परिवहन के दौरान उक्त नियमों के सभी उपबंधों और स्थानीय यातायात नियमों और नगर पालिका के विनियमों, यदि कोई हों, का पालन किया जाएगा ।

[फा. सं. 2(17)/2008–विस्फो.]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2008

S.O. 479(E).—Whereas the Central Government has received a proposal made by M/s. Gujarat State Petroleum Corporation Limited, Block No. 15, 2nd Floor, Udyog Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382 011 (Gujarat) to the Petroleum and Explosives Safety Organisation for permission to import certain explosives by air from United States of America for oil exploration purposes;

And whereas the Petroleum and Explosives Safety Organisation is satisfied that the proposed import of explosives shall be used for oil exploration purposes and, therefore, necessary exemption may be granted from the purview of sub-rule (2) of rule 31 of the Explosives Rules, 1983 which prohibit import or export of explosives specified herein by air;

And whereas the Director General of Civil Aviation has, in exercise of the powers conferred by rule 8 of the Aircrafts Rules, 1937, granted necessary permission with certain conditions to M/s. Gujarat State Petroleum Corporation Limited, Gandhinagar to carry such explosives by air vide their permit number 52-DG/2008 dated the 19th February, 2008 which is valid upto the 31st July, 2008:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts M/s. Gujarat State Petroleum Corporation Limited, Gandhinagar from the provisions of sub-rule (2) of rule 31 of the Explosives Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), for import of the following explosives, the items and quantities of which are specified in the Table below, by air from M/s. Jet Research Center, A Division of Halliburton Energy Services INC, 8432 South I-35 W Alvarado, Texas 76009-9775, United States of America at New Delhi airport, namely :—

TABLE

Serial Number	Name of the Explosives	U.N. Number	Class	Net weight (in kilograms)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Articles, Explosives, N.O.S.(TCP HNS Booster)	0349	1.4 S	0.110
2.	Charges, Shaped (3-3/8" Millenium HNS Charges)	0441	1.4 S	1204.800
3.	Articles, Explosives, N.O.S. (80GR HNS Detonating Cord)	0349	1.4 S	9.800

2. The explosives mentioned in the Table shall be imported subject to the fulfilment of the following conditions, namely:—

(i) necessary clearances are obtained from the Director General of Civil Aviation and the Airports Authority of India and conditions, if any, imposed by the said authorities shall be complied with;

(ii) explosives conforming only to Division 1.4 of the Division relating to class-1 Explosives falling under 3.1 of Section 3 of International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations, 1996 which became effective on the 1st January, 1996, shall be imported;

(iii) the relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives [except sub-rule (2) of rule 31 of the said rules] shall be complied with;

(iv) requisite number of explosives vans, licensed under the said rules, shall be kept ready at the airport so that the explosives can be removed expeditiously from the aircraft after its landing;

(v) aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of at least five hundred square metres around the aircraft and the explosives van shall be cordoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of explosives from aircraft to van begins. The arrangement shall continue till such transfer is completed and the van is duly locked and leaves the site;

(vi) smoking or use of naked light shall not be permitted within the cordoned area; and

(vii) vans carrying the explosives shall proceed to the storage magazine licensed under the said rules and no undue delay shall be made on the way and all provisions of the said rules and local traffic rules and municipal regulations, if any, shall be complied with during the transportation of the explosives.

[F. No. 2 (17)/2008-Expl.]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.